विचार बिन्दु

निरन्तर बदलने की इच्छा रखना एक ताकत होती है, चाहे इसकी वजह से कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कुछ देर के लिए पूरी तरह से अव्यवस्थित क्यों ना हो जाए। –जैक वेल्व

नकली उत्पाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, नकली वस्तुओं का व्यापार विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 500 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व उत्पन्न करता है। यह समस्या केवल वित्तीय पहलू तक ही सीमित नहीं है। नकली उत्पाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। मिलावटी दवाएं, विषैले पदार्थों से युक्त सौंदर्य प्रसाधन, सुरक्षा प्रमाणन के बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घटिया गुणवत्ता वाले वाहन पुर्जे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो वास्तविक खतरों को दर्शाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विलासिता के सामान का बाज़ार लगातार परिष्कृत नकली उत्पादों से जूझ रहा है। लुईविटन, गुच्ची, नाइकी और एप्पल जैसे ब्रांड इसके प्रमुख निशाने पर हैं और बाज़ार में लगातार अधिक विश्वसनीय नकली उत्पाद पहुँच रहे हैं। दवा क्षेत्र को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नकली दवाओं में सक्रिय तत्व की कमी हो सकती है या उनमें हानिकारक पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नकली चार्जर, हेडफोन, स्मार्टवॉच और तकनीकी सहायक उपकरण न केवल कम टिकाऊ होते हैं, बल्कि पर्याप्त सुरक्षा मानकों के अभाव के कारण आग और बिजली के झटके जैसी दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं।

देशभर में प्रतिदिन नकली और घटिया उत्पादों का न केवल भंडाफोड़ हो रहा है अपितु आये दिन लाखों करोड़ों का नकली सामान बरामद हो रहा है। लोगों की धरपकड़ भी लगातार हो रही है मगर इस नकली उत्पादों का आज तक प्रभावी रोक नहीं लग पायी है। बाजार में नकली उत्पादों की बिक्री से स्थानीय उत्पादकों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार नकली सामान देश के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं. इससे लाखों वैध रोजगार खत्म होने का खतरा है।विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। उद्योग मंडल ने कहा कि उद्योग को केवल सात क्षेत्र वाहन कल-पुर्जे,अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, कंप्यूटर हार्डवेयर, रोजमर्रा के उपयोग के डिब्बाबंद तथा व्यक्तिगत उपयोग वाले सामान, सिगरेट तथा मोबाइल फोन से जुड़े उद्योग को भारी नुकसान होने का अनुमान है।

मिलावटी या नकली खाने-पीने की चीजें, जीवन रक्षक दवाएं, कृषि उत्पाद, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फूडसप्लिमेंट बेच कर जिंदगी से खेला जा रहा है। नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, गैजेट्स और फैशन की चीजों से कंज्यूमर ठगे जा रहे हैं। नकली सामानों की घुसपैठ और तस्करी पर रोक ना लगने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। केवल पांच प्रमुख सेक्टर्स में ही नकली सामानों और स्मगलिंग की वजह से सरकार को सालाना 8 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है।

नकली सामान की समस्या से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। एक अनुमान के मुताबिक, वैश्विक बाजार में नकली सामान की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत तक है। भारत में हालात ज्यादा चिंताजनक है। देश में नकली उत्पादों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, यहां 30 प्रतिशत तक नकली माल बाजार में मिलता है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्सकी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में नकली उत्पादों का मार्केट बहुत तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। देश के 9 प्रमुख शहरों में किये गए एक सर्वे के अनुसार 2025 में 35 प्रतिशत शहरी उपभोक्ताओं ने नकली उत्पाद खरीदने की बात स्वीकारी है। इसके अलावा 89 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने जीवन में कम से कम एक बार नकली उत्पादों के शिकार जरूर हुए है। कपडे का बाजार नकली उत्पादों का प्रमुख बाजार है। दवाओं के मामले में भी चिंताजक स्थिति है। नकली सामानों से घिरी इस दुनिया में, धोखाधड़ी से खुद को बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऑनलाइन खरीदारी के प्रति सतर्क रवैया अपना कर, उपभोक्ता जालसाज़ों से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। विक्रेताओं पर शोध करना, उत्पाद समीक्षाओं की बारीकी से जाँच करना और प्रामाणिकता की पुष्टि करना जैसी सरल रणनीतियाँ नकली सामानों की बाढ़ के खिलाफ़ सुरक्षा कवच का काम करती हैं।

नकली सामान केवल लग्जरी प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। घर की रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले जीरे से लेकर खाना पकाने के तेल और बच्चों की देखभाल के सामान से लेकर दवाओं तक नकली सामानों की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। खाने-पीने की चीजें, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हाउसहोल्ड केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट और स्टेशनरी आदि अपैरल यानी फैशन के कपड़ों और एग्रीकल्चरल यानी बीज और खाद में सबसे ज्यादा नकली माल बाजार में मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और कंस्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एरिया में नकली सामान का बाजार 20 से 25 प्रतिशत तक है। नकली सामान खुले बाजार बिक रहा है। मिलावटी या नकली खाने-पीने की चीजें, जीवन रक्षक दवाएं, कृषि उत्पाद, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फूडसप्लिमेंट बेच कर जिंदगी से खेला जा रहा है। नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, गैजेट्स और फैशन की चीजों से कंज्यूमर ठगे जा रहे हैं। नकली सामानों की घुसपैठ और तस्करी पर रोक ना लगने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। केवल पांच प्रमुख सेक्टर्स में ही नकली सामानों और स्मगलिंग की वजह से सरकार को सालाना 8 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है।

इन सेक्टर्स मे, टेक्सटाइल एंड अपैरल, अल्कोहल और टोबैको शामिल हैं। नकली सामानों का ये अवैध ट्रेड सबसे ज्यादा सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नकली सामान एक प्रमुख मुद्दा है, जिससे उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकारों को बहुत ज़्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसमें नकली फ़ैशन उत्पादों से लेकर नकली दवाइयों तक शामिल हो सकते हैं, जो उपभोक्ता की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्रांड के भरोसे को खत्म कर सकते हैं और भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में, के अनुसार कॉर्सर्च अनुमान वर्ष 3.3 में वैश्विक व्यापार में नकली वस्तुओं की हिस्सेदारी 2023 प्रतिशत होगी और वर्ष 5 तक यह आंकड़ा बढ़कर 2030 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है। यह एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है जो समस्या के पैमाने और तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

राशिफल शनिवार 4 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2083, स्वाती नक्षत्र रात्रि 9:36 तक, हर्षण योग दिन 2:17 तक, गर करण दिन 10:09 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मीन, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 9:36 तक है। भद्रा रात्रि 11:04 से आरम्भ होगा। आज इस्टर सेटर डे है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:51 से 9:29 तक, चर 12:30 से 2:03 तक, लाभ-अमृत 2:03 से 5:08 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:19, सूर्यास्त 6:41

मेष
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

वृष
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कर्क
परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन/संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

तुला
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। समय अनावश्यक खराब होगा। मन में असंतोष और भय बना रहेगा।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में सार्थक सफलता मिल सकती है। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन/संदेश प्राप्त होंगे।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

जमीन बेचकर कब तक बंटेगी पेंशन? नीतिगत भेदभाव ने विश्वविद्यालयों को कंगाल किया

डॉ. पी. सी. कंठालिया

राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह स्थिति केवल विडंबना नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। जिन वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, वही आज अपने बुढ़ापे में पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, और कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।

इसके बावजूद कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समस्या वर्षों से उपेक्षित है। पिछले पाँच दशकों में राजस्थान ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1960 के दशक में जहाँ गेहूँ का उत्पादन लगभग 20 लाख टन था, वहीं आज यह 120 लाख टन से अधिक हो चुका है। सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि धनिया और ग्वार जैसी फसलों में भी राज्य अग्रणी है। इन उपलब्धियों के पीछे कृषि विश्वविद्यालयों की वैज्ञानिक शोध प्रणाली और विस्तार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन आज यही संस्थान अपने ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन देने में असमर्थ दिखाई देते हैं।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपने पेंशन दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी बहुमूल्य अनुसंधान भूमि का एक हिस्सा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। नगर विकास प्रन्यास को भूमि हस्तांतरित कर लगभग 190 करोड़ रुपये जुटाए गए, लेकिन यह राशि भी स्थायी समाधान साबित नहीं हुई। हर महीने करोड़ों रुपये की पेंशन देनदारी के सामने संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में पेंशनरों की लगभग 22 महीनों की पेंशन बकाया बताई जाती है। महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 12 प्रतिशत दिया जा रहा है, वह भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। स्थिति और भी गंभीर इस कारण है कि राज्य के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत की स्वीकृत दर के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति केवल वित्तीय संकट ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का भी संकेत है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में देरी, सातवें वेतनमान के एरियर का लंबित रहना, स्वीकृत दर के अनुसार महंगाई भत्ता न मिलना, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ न मिलना तथा कम्यूटेड पेंशन पर रोक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कृषि विश्वविद्यालयों की संरचना ही ऐसी है कि उनके पास आय के सीमित स्त्रोत होते हैं।

पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तरह उन्हें परीक्षा शुल्क, संबद्धता शुल्क या बड़े पैमाने पर शिक्षण शुल्क से आय प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए, बीकानेर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में लगभग 500 छात्र हैं, जबकि वहाँ 500 से अधिक कर्मचारी और लगभग 1200 पेंशनर हैं। पेंशन पर वार्षिक व्यय लगभग 60 करोड़ रुपये है, जिसे केवल शुल्क आय से वहन करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। उदयपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में ही 1300 से अधिक पेंशनर हैं, जिन पर प्रति माह लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपये का व्यय आता है। इस प्रकार वार्षिक पेंशन भार 70 से 75 करोड़ रुपये तक पहुँच जाता है। यदि पूरे राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को मिलाकर देखा जाए, तो 3000 से अधिक पेंशनरों पर प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

राजस्थान सरकार का 2026-27 का बजट लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये है। इस दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालयों के पेंशनरों पर आने वाला 200 करोड़ रुपये का भार कुल बजट का मात्र 0.06 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 28,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ऐसे में 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करना कोई असंभव कार्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं के निर्धारण की है।

समस्या की जड़ नीतिगत असमानता और वित्तीय ढांचे की खामियों में निहित है। जहाँ अन्य सरकारी निकायों के कर्मचारियों की पेंशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने अपने ऊपर ले ली, वहीं विश्वविद्यालय कर्मचारियों को उनके सीमित पेंशन फंड के भरोसे छोड़ दिया गया, जो 2010 के आसपास लगभग समाप्त हो चुका था। अन्य राज्यों-जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश-में विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। इसके विपरीत राजस्थान में यह जिम्मेदारी संस्थानों पर डाल दी गई है, जिनकी वित्तीय क्षमता अत्यंत सीमित है। यह अंतर स्पष्ट करता है कि समाधान संभव है, यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो।

पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि कर्मचारियों का अर्जित अधिकार है। यह उनके 30-35 वर्षों की सेवा और योगदान का प्रतिफल है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि उन्नित और शिक्षा के लिए समर्पित किया, उन्हें जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़े, यह न केवल अन्याय है बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी प्रश्नचिह्न है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केवल वित्तीय बोझ के रूप में न देखकर सामाजिक और नैतिक दायित्व के रूप में देखे। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को राज्य कोष से सुनिश्चित किया जाए तथा 'विश्वविद्यालय पेंशन नियम, 1990' में आवश्यक संशोधन कर इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान बनाया जाए। किसी भी संस्थान की साख उसकी इमारतों या बजट से नहीं, बल्कि उन लोगों के सम्मान से बनती है जिन्होंने उसे खड़ा किया। यदि वही लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में उपेक्षा का शिकार हों, तो यह केवल संस्थान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक पराजय है।

अंततः यह प्रश्न केवल पेंशन का नहीं, बल्कि उस दृष्टिकोण का है जिससे हम अपने ज्ञान निर्माताओं और कृषि विकास के आधार स्तंभों को देखते हैं। राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा कि वह अपने वैज्ञानिकों को असुरक्षा में छोड़ना चाहती है या उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा कर एक जिम्मेदार शासन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है।

–डॉ. पी. सी. कंठालिया,
पूर्व प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि.वि. पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी, उदयपुर

शिक्षा या सौदा? बाजारीकरण और लुप्त होती गुरु-शिष्य परम्परा

प्रोफेसर अशोक कुमार

नारायण मूर्ति ने एक बार कहा था कि "संस्थाएं ईंट और गारे से नहीं, बल्कि वहां के मूल्यों से बनती हैं।" लेकिन आज के आधुनिक भारत में, महानगरीय शहरों के वातानुकूलित क्लासरूम में, ये मूल्य धीरे-धीरे फीस की रसीदों के नीचे दबते जा रहे हैं। जब एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, तो उसके सामने बैठे छात्र अब जिज्ञासु शिष्य कम और जागरूक ग्राहक अधिक नज़र आते हैं। यह बदलाव रातों-रात नहीं आया, बल्कि इसके पीछे सामाजिक ताने-बाने का वह बिखराव है जहाँ गुरु को एक सर्विस प्रदाता और शिक्षा को एक खरीदे जा सकने वाले उत्पाद के रूप में देखा जाने लगा है।

जब एक अभिभावक शिक्षक यह कहता है कि "मेरे बच्चे की फीस से आपका घर चलता है," तो वह केवल एक शिक्षक का अपमान नहीं करता, बल्कि वह अपने ही बच्चे के भविष्य से उस नैतिक अधिकार को छीन लेता है जो उसे एक बेहतर इंसान बना सकता था। शिक्षा का बाजारीकरण और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ह्युमिलिएशन (अपमान) का कार्ड आज के शिक्षकों को एक ऐसे रक्षात्मक मोड में ले आया है, जहाँ वे सिखाने से ज्यादा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह केवल एक शिक्षक की पीड़ा नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट का आईना है, जिसे यदि आज नहीं सुधारा गया, तो हम डिग्री धारक रोबोट्स तो पैदा कर लेंगे, लेकिन चरित्रवान नागरिक खो देंगे।

यह विषय आज के शैक्षिणक परिदृश्य की एक ऐसी दुखती रग है, जिस पर चर्चा करना अनिवार्य हो गया है। नोएडा के उस शिक्षक का अनुभव केवल एक व्यक्ति की व्यथा नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के नैतिक पतन का संकेत है। जब शिक्षा को ज्ञान के बजाय उत्पाद और छात्र को शिष्य के बजाय ग्राहक मान लिया जाता है, तो गुरु-शिष्य परंपरा की नींव हिलने लगती है। आइए, इस जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने-बाने को विस्तार से समझते हैं। अभिभावकों का यह तर्क कि "शिक्षकों को वेतन हमारे बच्चों की फीस से मिलता है," शिक्षा के मंदिर को एक व्यावसायिक शोरूम में बदल देता है। यह सोच न केवल संकुचित है, बल्कि घातक भी है।

1. उपभोक्तावादी मानसिकता

जब अभिभावक शिक्षा को एक खरीदी गई सेवा मानते हैं, तो वे अनजाने में अपने बच्चे को यह सिखा रहे होते हैं कि पैसा सम्मान से ऊपर है। यदि बच्चा घर पर यह सुनता है कि "हम शिक्षक को पैसे देते हैं," तो वह कक्षा में शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में देखता है। मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा उस व्यक्ति से कभी नहीं सीख सकता जिसका वह सम्मान नहीं करता।

2. सुरक्षात्मक अतिशयोक्ति

आज के दौर में हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग का चलन बढ़ा है। अभिभावक अपने बच्चे की हर गलती का बचाव करते हैं। जब शिक्षक बच्चे को सुधारने के लिए टोकता है, तो अभिभावक इसे बच्चे का अपमान समझकर स्कूल पहुँच जाते हैं। इससे बच्चे के मन में यह धारणा बैठ जाती है कि वह अजेय है और कोई उसे उसकी गलती का अहसास नहीं करा सकता। अक्सर छात्र यह शिकायत करते हैं कि सवाल पूछने पर या गलती करने पर उन्हें ह्युमिलिएट (अपमानित) किया गया। यहाँ हमें बारीक अंतर समझने की जरूरत है।

अनुशासन बनाम अपमान: एक शिक्षक का काम केवल तथ्य पढ़ाना नहीं, बल्कि व्यवहार सुधारना भी है। यदि सुधार की प्रक्रिया को छात्र अपमान का नाम देने लगें, तो शिक्षक सुरक्षित खेलने लगता है। वह पढ़ाकर निकल जाता है, छात्र के चरित्र निर्माण से खुद को अलग कर लेता है।

सहनशीलता में कमी: आधुनिक मनोवैज्ञानिक परिवेश में छात्रों की इमोशनल रेजिलिएंस (भावनात्मक लचीलापन) कम हुई है। वे हल्की सी आलोचना भी सहन नहीं कर पाते। इसे स्नोफ्लेक जनरेशन का प्रभाव भी कहा जाता है, जहाँ बच्चा खुद को बहुत नाजुक समझने लगता है।

आज का शिक्षक एक ऐसी दोधारी तलवार पर चल रहा है जहाँ एक तरफ उसे पाठ्यक्रम पूरा करना है और दूसरी तरफ अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा बचानी है। ऐसे में शिक्षक क्या करे?

1. सत्ता से नहीं, व्यक्तित्व से प्रभाव

अब वह समय चला गया जब शिक्षक डंडे के जोर पर सम्मान पाते थे। आज के शिक्षक को इमोशनल इंटेलिजेंस (इआइ) का सहारा लेना होगा। उसे छात्र के साथ एक कनेक्ट स्थापित करना होगा। जब छात्र को लगता है कि शिक्षक वास्तव में उसका भला चाहता है, तो वह टोकने पर बुरा नहीं मानता।

2. स्पष्ट संवाद की नीति

शिक्षक को कक्षा के नियम पहले दिन ही स्पष्ट कर देने चाहिए। अनुशासन को सजा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के माहौल के रूप में पेश करना चाहिए। सवाल पूछने पर यदि बच्चा झिझकता है, तो शिक्षक को एक सुरक्षित वातावरण बनाना होगा जहाँ गलत जवाब पर कोई हंसे नहीं। शिक्षा केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। एक बच्चे का व्यक्तित्व त्रिकोणीय सहयोग पर टिका है: शिक्षक, छात्र और अभिभावक। अभिभावक का दायित्व प्रभाव, शिक्षक का सम्मान करना, बच्चा घर के माहौल से ही दूसरों का आदर करना सीखता है। गलती को स्वीकारना। बच्चे को सिखाएं कि गलती करना बुरा नहीं है, उसे सुधारना जरूरी है। स्कूल को पार्टनर मानना। स्कूल को सर्विस प्रोवाइडर के बजाय पार्टनर समझें। फीस और सम्मान को अलग रखना। पैसा शिक्षा की सुविधा के लिए है, गुरु की गरिमा खरीदने के लिए नहीं।

आज के इस संक्रमण काल में हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है: स्कूल प्रशासन की भूमिका: मैनेजमेंट को केवल बिजनेस नहीं देखना चाहिए। यदि शिक्षक सही है, तो प्रशासन को उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए। जब छात्र देखता है कि स्कूल मैनेजमेंट शिक्षक के साथ है, तो उसकी उच्छृंखलता कम होती है।

काउंसलिंग सत्र: हर स्कूल में न केवल छात्रों के लिए, बल्कि अभिभावकों के लिए भी कार्यशालाएं होनी चाहिए, जहाँ उन्हें बताया जाए कि "अत्यधिक सुरक्षा उनके बच्चे के भविष्य को अपंग बना रही है।"

शिक्षक का सशक्तिकरण: शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट (विवाद प्रबंधन) की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे आक्रामक छात्रों या अभिभावकों को शालीनता और दृढ़ता से संभाल सकें।

निष्कर्ष: आगे का रास्ता

शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह एक संस्कार है जिसे केवल विनम्रता से ग्रहण किया जा सकता है। यदि अभिभावक अपनी फीस के अहंकार में शिक्षक को छोटा समझेंगे, तो अंततः नुकसान उनके बच्चे का ही होगा, क्योंकि वह एक डिग्री तो पा लेगा, लेकिन संस्कार और चरित्र से शून्य रह जाएगा। शिक्षक को अपनी गरिमा वापस पाने के लिए खुद को बदलना होगा, और समाज को अपनी मानसिकता। गुरु का स्थान पत्थर की लकीर न सही, लेकिन मार्गदर्शक की मशाल तो जरूर होना चाहिए।

"जिस समाज में शिक्षक भयभीत है और छात्र अनुशासनहीन, उस समाज का पतन निश्चित है। सुधार की शुरुआत घर के ड्राइंग रूम से होनी चाहिए, जहाँ शिक्षक के बारे में होने वाली चर्चा सम्मानजनक हो।"

–प्रोफेसर अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

हाईकोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रु. किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी 16 साल से अकेले ही बच्चों का पालन-पोषण कर रही है, महिला के पास न आय है, न अपना घर है

जोधपुर, (कासं)। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाले स्थायी गुजारा भत्ते को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि पत्नी 16 सालों से अकेले बच्चों का पालन-पोषण कर रही है। महिला के पास न आय है, न अपना घर है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति एक सरकारी डॉक्टर है, तो फैमिली कोर्ट का 25 लाख रुपए का पुराना फैसला न्यायोचित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता अमीरी का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान का अधिकार है।

यह मामला जोधपुर निवासी शोभा कंवर और डॉ. नरपतसिंह के बीच चल रहे विवाद का है। दोनों की शादी 23 अप्रैल 1994 को मारवाड़ जंक्शन में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। इनके 2 बेटे हैं। पत्नी ने 2 मार्च 2015 को फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। पत्नी का आरोप है कि 2004 में पति और उसके परिवार पर पिता का मकान और जमीन बेचकर पैसे लाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर 1 मई 2009 को पीटा गया और बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। इस मामले में दहेज प्रताड़ना, आपराधिक विश्वासघात, मारपीट और षड्यंत्र के तहत एफआईआर भी दर्ज है। फैमिली कोर्ट, जोधपुर ने तलाक की डिक्री जारी करते हुए पति को पत्नी को 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया था और भुगतान होने तक 45 हजार रुपए प्रति माह देने के लिए कहा था। पत्नी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए 2 करोड़ रुपये की मांग की, जबकि पति ने इसे अत्यधिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी।

- **कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति एक सरकारी डॉक्टर है, तो फैमिली कोर्ट का 25 लाख रुपए का पुराना फैसला न्यायोचित नहीं था, कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता अमीरी का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान का अधिकार है**
- **यह मामला जोधपुर निवासी शोभा कंवर और डॉ. नरपतसिंह के बीच चल रहे विवाद का है**

महिला के वकील ने पैरवी करते हुए बताया कि पति ईएनटी विशेषज्ञ और सरकारी अस्पताल पाली में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। वेतन के अलावा निजी प्रैक्टिस, आरटीओ फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल एजेंसी से मिलाकर उनकी 8-10 लाख रुपए मासिक आय है। पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है। वह 16 साल से बच्चों को अकेले पाल रही है। वहीं, पति की ओर से वकील ने तर्क दिया कि पत्नी बीए, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी योग्यताधारी वकील है। 50 हजार रुपए मंथली कमाती है। पति की बूढ़ी मां बीमार हैं और विकलांग भाई आश्रित है, जबकि दोनों वयस्क पुत्र इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हैं। ऐसे में पति पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर खंडपीठ ने माना कि विवाह लगभग 15 साल तक चला और पत्नी 16 वर्षों से बच्चों को अकेले पाल रही है। कोर्ट ने पाया कि पति का वेतन लगभग 2 लाख रुपए मासिक प्रमाणित है। उसके पास स्वअर्जित मकान और पैतृक संपत्ति है। इसके विपरीत, पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आवास नहीं है। कोर्ट ने माना कि पत्नी की निजी प्रैक्टिस संबंधी आय के दस्तावेज 2011 से पुराने हैं और उसकी वर्तमान आय साबित नहीं होती है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी की दो करोड़ की मांग अत्यधिक और असमर्थित है, क्योंकि गुजारा भत्ता समृद्धि का जरिया नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का माध्यम है। कोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार और पति की अपील खारिज करते हुए स्थायी गुजारा भत्ता 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है।